न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 64 / 2022

अपीलांट–

1. अमराराम पुत्र गंगाराम
2. मोटाराम पुत्र गंगाराम
3. तुलसाराम पुत्र गंगाराम
4. झीमा पत्नी गंगाराम
   जाति जाट निवासी
   धोकलिया तहसील सेडवा
   जिला बाडमेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 जोधाराम पुत्र फुआराम
2 चिमाराम पुत्र फुआराम
जाति जाट निवासी धोकलिया
तहसील सेडवा जिला बाडमेर
3 शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक
बामड़ला
4 शाखा प्रबंधक बीएलडीबी शाखा
बाडमेर
5 श्रीमान तहसीलदार, सेड़वा जिला
बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक शिविर / 2015 / 07 दिनांक 04.06.2015 जो तहसीलदार सेडवा द्वारा अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करनेह हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री माधोसिंह, अधिवक्ता रेस्पों. संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पों. संख्या 1, 3 एवं 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 5 प्रफोर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 16.07.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सेडवा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक शिविर / 2015 / 07 दिनांक 04.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा धोलकिया तहसील सेडवा जिला बाडमेर के खेत खसरा नंबर 539 / 284, 541 / 284 व 608 / 345 कुल

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

रकबा 120.19 बीघा तथा मौजा पाबूबेरी पटवार क्षेत्र केकड तहसील सेडवा के खेत खसरा नंबर 163, 182, 183, 186, 197, 238, 299/163 कुल रकबा 120.05 का आया हुआ है। उक्त खेत के खातेदारों ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.06.2015 को तहसीलदार सेडवा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 07 दिनांक 04.06.2015 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.12.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट् को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार सेडवा द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 07 दिनांक 04.06.2015 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलाधीन आदेश पक्षकारान के मौके पर कब्जा एवं रकबा अनुसार नहीं है तथा यह नक्शा दोनों पक्षों के विवाद का कारण बन गया है। हल्का पटवारी द्वारा उतरदाता संख्या 1 व 2 के दबाव में रहते हुए विभाजन हेतु तैयार पूर्व के नक्शे को बदलते हुए अपीलांटगण व उतरदातागण द्वारा नक्शे पर किए गए हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान पर हल्का पटवारी ने नक्शा तैयार कर तहसीलदार सेड़वा के समक्ष पेश कर दिया तथा आदेश दिनांक 02.05.2012 पारित करवाया। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह प्रकट किया कि सह खातेदारों के मध्य जो बंटवाडा किया गया, उसमें भूमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारों के कब्जा का ध्यान रखा जाना था, परंतु तहसीलदार सेडवा द्वारा वादग्रस्त भूमि किस्म, उपजाऊपन व समतल–धोरे आदि के अहम मुद्दों को अनदेखा कर तथा आने–जाने हेतु रास्ते की सुविधा प्रदान नहीं करते हुए बंटवाडा करने में भारी विधिक भूल की है। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अरसा 20–25 दिन पूर्व अपीलांटगण ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार अपने हिस्से की भूमि की सीमाज्ञान आदेश 182 दिनांक 06.12.2022 को करवाया गया जिस हल्का पटवारी से दिनांक 14.11.2022 को सीमाज्ञान करवाया गया तब हल्का पटवारी ने मौके की स्थिति व रेकर्ड की तरमीम की स्थिति में भिन्नता होना बताया। जिस पर अपीलांट ने सीमाज्ञान की नकले दिनांक 06.12.2022 को प्राप्त की जिस पर अपीलांटगण को अपना हक हिस्सा संशयप्रद लगा जिस पर अपीलांट अमराराम ने विभाजन प्रस्ताव व आलोच्य की प्रति दिनांक 08.12.2022 को मांगी जो तैयार होकर दिनांक 09.12.2022 को प्राप्त हुई जिस पर सर्वप्रथम अपीलांट को मौके के कब्जा काश्त के विपरीत बंटवाडा होने की जानकारी हुई। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा अपने अपने जवाब में प्रकट किया गया कि तहसीलदार सेडवा के समक्ष अपीलांटगण एवं उतरदातागण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर बंटवाडा वास्ते आवेदन किया गया तथा बंटवाडा करते समय वादग्रस्त भूमि किस्म, उपजाऊपन व समतल–धोरे आदि में किसी प्रकार की कोई विधिक भूल की गई है। अतः अपीलांट्स द्वारा दायर अपील खारिज किए जाने हेतु निवेदन किया है।

7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि तहसीलदार सेडवा द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 07 दिनांक 04.06.2015 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलाधीन आदेश पक्षकारान के मौके पर कब्जा एवं रकबा अनुसार नहीं है तथा यह नक्शा दोनों पक्षों के विवाद का कारण बन गया है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि हल्का पटवारी द्वारा उतरदाता संख्या 1 व 2 के दबाव में रहते हुए विभाजन हेतु तैयार पूर्व के नक्शे को बदलते हुए अपीलांटगण व उतरदातागण द्वारा नक्शे पर किए गए हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान पर हल्का पटवारी ने नक्शा तैयार कर तहसीलदार सेड़वा के समक्ष पेश कर दिया तथा आदेश दिनांक 02.05.2012 पारित करवाया। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि सह खातेदारों के मध्य जो बंटवाडा किया गया, उसमें भूमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारों के कब्जा का ध्यान रखा जाना था, परंतु तहसीलदार सेडवा द्वारा वादग्रस्त भूमि किस्म, उपजाऊपन व

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

समतल–धोरे आदि के अहम मुद्दों को अनदेखा कर तथा आने–जाने हेतु रास्ते की सुविधा प्रदान नहीं करते हुए बंटवाडा करने में भारी विधिक भूल की है। अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेंट संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रकट किया कि तहसीलदार सेडवा के समक्ष अपीलांटगण एवं उतरदातागण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर बंटवाडा वास्ते आवेदन किया गया तथा बंटवाडा करते समय वादग्रस्त भूमि किस्म, उपजाऊपन व समतल–धोरे आदि में किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं की गई है। अतः अपीलांट्स द्वारा दायर अपील खारिज फरमाई जावे। हमने उक्त विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार सेडवा से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर मनन किया गया जिसमें यह पाया गया कि ग्राम धोलकिया के मूल खसरा संख्या 539 / 284, 541 / 284, 608 / 345 रकबा क्रमशः 68.01 बीघा, 6.16 बीघा,46.02 बीघा तथा ग्राम पाबूबेरी के खसरा संख्या 163, 182, 183, 186, 197, 238, 299 / 163 रकबा क्रमशः 0.11 बीघा, 0.12 बीघा, 33.10 बीघा, 41.13 बीघा, 32.08 बीघा, 10.11 बीघा, 1.00 बीघा का सहमति विभाजन प्रशासन गावों के संग अभियान, 2015 में हुआ जिसमें ग्राम धोलकिया के मूल खसरा संख्या 541 / 284, 608 / 345 तथा ग्राम पाबूबेरी के मूल खसरा संख्या 163, 182, 183, 197, 238, 299 / 163 का सहमति विभाजन कब्जा काश्त अनुसार हुआ, जबकि ग्राम धोलकिया के खसरा संख्या 539 / 284 एवं ग्राम पाबूबेरी के खसरा संख्या 186 का बंटवाडा मौका कब्जा काश्त, रहवासी ढाणी, टांका, चरवाहे के कब्जे अनुसार नहीं हुआ। ग्राम धोलकिया के खसरा संख्या 539 / 284 रकबा 5.5118 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 678 / 284 रकबा 5.5037 हैक्टेयर तथा ग्राम पाबूबेरी के खसरा संख्या 186 रकबा 2.9218 हैक्टेयर, खसरा संख्या 279 / 186 रकबा 3.8202 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड, रकबा, नक्शा एवं मौका कब्जा काश्त में अंतर पाया गया क्योंकि राजस्व अभियान 2015 में ग्राम धोलकिया के मूल खसरा संख्या 539 / 284 रकबा 68. 01 बीघा, वर्तमान संख्या 539 / 284 , 678 / 284 ग्राम पाबूबेरी के मूल खसरा संख्या 186 रकबा 41.13 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 186, 279 / 186) का सहमति बंटवाडा मौका कब्जा काश्त अनुसार नहीं हुआ। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामसर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय अपर कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलेक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार सेडवा द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक शिविर / 2015 / 07 दिनांक 04.06.2015 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सेड़वा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अति. जिला कलेक्टर, बाड़मेर